उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-1
संख्या-112/1288/84-1-2014-14 (बजट)/2013 टीसी
लखनऊ : दिनांक : 15 दिसम्बर, 2014

शुद्धि पत्र

वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-21 के अंतर्गत राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उ0प्र0 लखनऊ हेतु अनुपूरक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति विषयक उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-110/882/84-1-2014-14 (बजट)/2013 टीसी, दिनांक 04-12-2014 की तालिका के मद संख्या-10-जलकर/ जलप्रभार के कालम-3 में त्रुटिवश 5665 के स्थान पर (-) अंकित हुआ है तथा कालम-4 में 5865 के स्थान पर 200 अंकित हुआ है। अतः 10 जलकर/जलप्रभार कालम-3 में (-)के स्थान पर 5665 एवं कालम-4 में 5865 अंकित पढा जाय।

2. तदनुसार उक्त शासनसादेश दिनांक 04 दिसम्बर, 2014 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

नेकपाल वर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या-112/1288(1)/84-1-14-तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उ0प्र0 लखनऊ।
5- आहरण वितरण अधिकारी, खाद्य एवं रसद सचिव शाखा, उ0प्र0 शासन।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0) योजना भवन, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
10-खाद्य एवं रसद अनुभाग-3।
11-गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(नेकपाल वर्मा)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in